से कुछ और विद्युत इंजनों के रख-रखाव की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो वडोदरा-सूरत खंड के विद्युतीकरण नेटवर्क के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या रेल विभाग की निकट भविष्य में विद्युतीकरण नेटवर्क के विस्तार की कोई योजनायें हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वडोदरा-सूरत खंड 1973-74 में विद्युतीकृत किया गया था।

(घ) रेल मंत्रालय द्वारा कार्यक्रमबद्ध आधार पर उन खंडों के विद्युतीकरण जालतंत्र का विस्तार किया जाता है जो वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

21.3.95 तक अनुमोदित रेल विद्युतीकरण कार्य

क्रम० सं०	परियोजना का नाम	लंबाई (मार्ग कि०मी० में)
1.	बीना-कटनी	263
2.	कटनी-बिलासपुर	502
3.	सोन नगर-पतरातू	291
4.	सीतारामपुर-मुगलसराय	562
5	दिल्ली-अंबाला-लुधियाना	314
6.	गुमिया-पतरातू	72
7.	बोकारो-बरसुआन-किरिबुरू	398
8.	ईरोड-एर्णाकुलम/कोचीन	324
9	रेणिगुंटा-गुंतकल-होसपेट	448
10.	अंबाला-मुरादाबाद	274
11.	चांडिल-मुरी-बरकाकाना	119
12.	विजयवाडा-विशाखापटनम	366
13.	जामादोबा-मोहुदा	22
14.	बंडेल-कटवा	105
15.	आद्रा-मिदनापुर	155
16.	तालचेर-पारादीप सहित खडगपुर-भुवनेश्वर	540

तेल के कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए आग बुझाने वाले उपकरणों की उपलब्धता

*227. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित तेल के कुएं में लगी आग को बुझाने में शीघ्र सफलता मिल गई होती यदि आवश्यक उपकरण शीघ्र उपलब्ध करा दिये जाते;

(ख) निकट के क्षेत्र में कुएं की खुदाई का कार्य अब तक पूरा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस कुएं को फिर से इस्तेमाल में लाया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) पी०एस०ए०बी० (पी०एस०पी०-20) कूप पर वेधन प्रचालन कार्यक्रम के अनुसार सुचारू रूप से जारी है। यह कूप आग लगने की जगह से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है।

(ग) ओ०एन०जी०सी० आग पकड़ने वाले कूप (पसरलपुडी-19) की स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है,

ताकि इसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

Exemption of State Transport Buses from Insurance

*228. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain State Transport Buses are exempt from insurance;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether Government have issued or propose to issue directives to such States for prompt disposal of road accident claims cases, pertaining to grant of cash compensation; and

(d) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) Yes Sir. State Transport Buses are exempted from insurance provided they maintain a fund for meeting any liability arising out of the use of any such vehicle. As per available information, the buses of Maharashtra State Road Transport Corporation, Andhra Pradesh SRTC, Karnataka SRTC, Pallavan TCL, Madras and DTC are exempted from Insurance.

(c) and (d) The need for early disposal of compensation cases has been impressed upon the State Governments from time to time. However, with a view to further simplify this procedure, the Government have, through a new Section 163A of the Motor Vehicles Act, 1988 introduced a procedure for payment of compensation on the basis of a pre-determined formula based on the age and income of the road accident victims. The compensation under this formula is on the principle of no fault and has been restricted to an income of Rs. 40,000/- per annum. The heirs/victims have, however, the option to go in for higher amount of compensation according to Section 140 of the Motor Vehicles Act, but not under both the provisions. The details of the amount of compensation on the basis of pre-determined formula are given in the statement. (*See* below) The Government have the powers to revise this schedule.

Statement

The Second Schedule
(See Section 163A)

SCHEDULE FOR COMPENSATION FOR THIRD PARTY FATAL ACCIDENT/ INJURY CASES CLAIMS

1. Fatal Accidents

	Annual income	Rs. 3000	Rs 4200	Rs 5400	Rs. 6600	Rs. 7800	Rs. 9000	Rs. 10200	Rs. 11400	Rs. 12000	Rs. 18000	Rs. 24000	Rs. 36000	Rs. 40000
Age of Victim		Multiplier					Rupees in Thousands Compensation in case of death							
		Rs.	Rs	Rs	Rs	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
Upto 15 yrs	15	60	84	108	132	156	180	204	228	240	360	480	720	800
Above 15 yrs but not exdg. 20 yrs	16	57	79 8	102	125.4	148.2	171	193.8	216.6	228	342	456	684	760
Above 20 yrs but not exdg 25 yrs.	17	54	75 6	97 2	118.8	140 4	162	183 6	205 2	216	324	432	648	720
Above 25 yrs but not exdg. 30 yrs	18	51	71 4	91 8	112 2	132 6	153	173.4	193.8	204	306	408	612	680